न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 47/2005 (विविध दर्ज रजिस्टर)

उनवान :– 1. शिम्भू पुत्र मन्नू (फौत)

1/1 मु0 शान्ति बेवाह शिम्भू

1/2 कमलेश पुत्री शिम्भू

1/3 हजारी पुत्र शिम्भू

2. मुखराम पुत्र मन्नू

जाति यादव निवासीयान उलाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:—— अपीलांटस

बनाम

1 दुल्लीचन्द्र पुत्र सोहन (फौत)

1/1 बल्लो देवी बेवाह दुलीचन्द्र

1/2 जयद्रथ पुत्र दुल्लीचन्द्र जाति यादव निवासीयान ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 लालाराम पुत्र सोहन (फौत)

3 रोहताश पुत्र सोहन

4 भूपसिंह पुत्र सोहन

5 सुबेसिंह पुत्र सोहन

6 बनेसिंह पुत्र सोहन

जाति यादव निवासीयान ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——असल रेस्पो0

7 गिन्दो पुत्री मन्नू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8 भगोती पुत्री मन्नू (फौत, इनके खिलाफ अपील अबेट की गई)
9 बनारसी पुत्री मन्नू (फौत, इनके खिलाफ अपील अबेट की गई)
10 सन्तोष पुत्री मन्नू
11 मिश्रो पुत्री मन्नू
12 श्योबाई पुत्री मन्नू जाति यादव निवासीयान ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——— तरतीवी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 10.1.2005

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :— श्री राजवहादुर सिंह

निर्णय दिनांक 27.08.2021

---

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2003 में पारित निर्णय दिनांक 10.1.2005 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी शिम्भूराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 खारिज किया गया है । अपील प्रस्तुत होने पर विविध रजिस्टर में अपील दर्ज की गई ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र संख्या 764/97 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 31.3.2003 को प्रतिवादी की इकतरफा में वाद पत्र डिक्री किया गया था । इसके बाद प्रतिवादी शिम्भू ने अपनी इकतरफा खुलवाने के लिये तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 10.1.2005 को खारिज किया गया था । तहत अदालत के उक्त निर्णय दिनांक 10.1.2005 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुये तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय की हमको पूर्व में कोई जानकारी नहीं हुई थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.8.2005 को उस समय हुई, जब रेस्पो0 ने हमारे कब्जे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी

काश्त में मजाहमत की और कहा कि डिक्री उनके पक्ष में पारित हो चुकी है । इस पर हमने तहत अदालत में दिनांक 9.8.2005 को ही जानकारी की और उसी समय नकल लेकर यह अपील प्रस्तुत कर दी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे तथा जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद गुजार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि वाद पत्र में प्रारम्भ से ही हमारे पिता मन्नूराम पक्षकार था । उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसों अर्थात हमारे नाम से जो तथाकथित तामील नोटिस जारी हुये थे, उनमें हमारी कोई असालतन तामील नहीं हुई थी । तामील कुनिन्दा से साजबाज होकर हमारी फर्जी तामील कराई गई है । तहत अदालत ने आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों का सही प्रकार से अध्ययन नहीं किया । अपीलाधीन निर्णय इन प्रावधानों के प्रतिकूल पारित किया गया है । ना तो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट का सही ढंग से अवलोकन किया और ना ही उसके बयान लिये गये । आराजी खसरा नम्बर 789 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा हमारे कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । इस आराजी से वादी रेस्पो0 का कोई सरोकार नहीं है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । अपीलाधीन निर्णय की इनको बखूबी जानकारी थी । देरी तभी माफ की जा सकती है, जब देरी का संतोषजनक कारण बताया जावे । इन्होंने संतोषजनक कारण नहीं बताया है । अतः मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि इनको हमारे वाद पत्र की पूर्व से ही जानकारी थी, परन्तु ये तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये । इसलिये इनकी सही तौर पर इकतरफा करते हुये हमारे पक्ष में वाद पत्र डिक्री किया गया था । इसके बाद इन्होंने अपनी इकतरफा खुलवाने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 पेश किया गया था, जो सही तौर पर खारिज किया गया है, क्योंकि इनके पिता तहत अदालत में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार थे । इनके पिता की सम्यक रूप से तामील हुई है । इनके पिता प्रतिवादी शिम्भू ने वकील नियुक्त कर उनका वकालतनामा प्रस्तुत कराया है । कुछ समय वे तहत अदालत में उपस्थित भी हुये हैं । इसके पैरवी करना छोड दिया था । इसलिये दिनांक 18.12.2002 को उनकी इकतरफा की गई थी । तात्पर्य यह है कि इनके पिता की सम्यक तामील हो चुकी थी । जब सम्यक तामील हो चुकी थी तो आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

विधिसम्मत नहीं है । तहत अदालत ने आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र सही तौर पर खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं मियाद बिन्दू पर वकील अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

6 दौराने विचारण अपील अपीलांट नम्बर 01 शिम्भू, रेस्पो0 नम्बर 01 दुलीचन्द्र, रेस्पो0 नम्बर 02 लालाराम, रेस्पो0 नम्बर 8 भगती, रेस्पो0 नम्बर 9 बनारसी का देहान्त हो गया था । दिनांक 13.3.2012 को रेस्पो0 नम्बर 01 मृतक दुलीचन्द्र का मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार उसके विधिक वारिसान बल्लो देवी बेवाह दुलीचन्द्र, जयद्रथ पुत्र दुलीचन्द्र को रेकार्ड पर लिया गया था । इसी प्रकार दिनांक 1.4.2013 को अपीलांट नम्बर 01 मृतक शिम्भू का मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किर उसके विधिक वारिसान शांति बेवाह शिम्भू, कमलेश पुत्री शिम्भू, हजारी लाल पुत्र शिम्भू को रेकार्ड पर लिया गया था । रेस्पो0 नम्बर 08 मृतक भगोती एवं रेस्पो0 नम्बर 09 मृतक बनारसी का मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र अपीलांट की ओर पेश नहीं किया गया था, इसलिये दिनांक 2.3.2020 को रेस्पो0 नम्बर 08 एवं 09 के हिस्से की हद तक अपील अबेट की गई थी ।

7 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । अपीलांट ने अपनी इकतरफा खुलवाने के लिए तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत किया था, जो अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया गया था । अपीलांट का मुख्य कथन यही है कि वाद पत्र में उनके पिता प्रतिवादी थे, उनकी सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी, तामील फर्जी कराई गई है । अपीलांट के इन कथनों के परिप्रेक्ष्य में हमने तहत अदालत द्वारा अपीलांट के पिता को जारी नोटिस/समन का अवलोकन किया । अपीलांट के पिता प्रतिवादी शिम्भू को जारी समन स्वयं प्रतिवादी शिम्भू द्वारा प्राप्त किया जाना पाया जाता है । प्राप्ति स्वरूप प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदे
राजस्व अपील अधिकारी, अ

मुखराम के हस्ताक्षर समन पर अंकित है । प्रतिवादी, जो कि अपीलांट नम्बर 02 है, ने तहत अदालत द्वारा जारी समन लेने से इन्कार कर दिया था, जो जिसकी रिपोर्ट तामील कुनिन्दा ने समन पर अंकित की है । तहत पत्रावली में गरीब राम यादव का वकालतनामा संलग्न है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि उक्त वकालतनामा प्रतिवादी शिम्भू, जो कि अपीलांट नम्बर 1/1 का पति तथा अपीलांट नम्बर 1/2 व 1/3 का पिता है, की ओर से पेश किया गया था ।

8 तहत अदालत की वाद पत्रावली संख्या 764/97 की आदेशिकाओं का अवलोकन किया । उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से सिद्ध है कि अपीलांट के पिता प्रतिवादी के वकील तहत अदालत में उपस्थित होते रहे, परन्तु दिनांक 18.12.2002 को उनके वकील उपस्थित नहीं हुये, इसलिये उनके खिलाफ इकतरफा की गई थी ।

9 उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से सिद्ध है कि तहत अदालत में प्रतिवादीगण की सम्यक रूप से तामील हो चुकी थी । अपीलांट के पति/पिता ने तहत अदालत में अपना नियुक्त कर दिया था और वे उपस्थित होते रहे परन्तु दिनांक 18.12.2002 को उनके उपस्थित होने पर उनकी इकतरफा की गई थी । आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र सम्यक रूप से तामील नहीं होने की स्थिति में ही स्वीकार किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण की सम्यक रूप से तामील हो चुकी थी । प्रतिवादीगण की मूल वाद में सम्यक रूप से तामील होने पर ही आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र तहत अदालत द्वारा विधिक रूप से खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

10 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2005 यथावत रखा जाता है ।

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर